दिनेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2026 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित बाढ़-सुखाड़ से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्त्ता, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल का स्वागत किया गया। तदोपरांत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी :-

1. नाव की संख्या :-

क्र0	जिला का नाम	उपलब्ध सरकारी नाव की संख्या	उपलब्ध नीजी नाव की संख्या	अभ्युक्ति
1.	सहरसा	00	138	82 नाव मालिकों के साथ एकरारनामा पूर्ण
2.	सुपौल	04	317	-
3.	मधेपुरा	03	92	79 नाव मालिकों के साथ एकरारनामा पूर्ण

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत जिलों के लिए नावों के भाड़ा निर्धारण कर लिया गया है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा जिले में 07 (सात) नाव के पूर्व के बकाये राशि का भुगतान लंबित है, जिसे शीघ्र निष्पादित कर लिया जायेगा। सुपौल एवं मधेपुरा में पूर्व का बकाया राशि शेष नहीं है।

सभी जिलों को पूर्व के बकाये राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित करने तथा सभी नावों के सुरक्षा मानकों का नियमानुसार जाँच कराकर संतुष्ट होने का निदेश दिया गया।

2. मानव एवं पशु दवा की उपलब्धता :-

क्र0	जिला का नाम	उपलब्ध मानव दवा	उपलब्ध पशु दवा	ब्लीचिंग पाउडर
1.	सहरसा	28	40	25 कि0ग्रा0 का 94 बैग
2.	सुपौल	46	44	25 कि0ग्रा0 का 41 बैग
3.	मधेपुरा	20	44	25 कि0ग्रा0 का 635 बैग

समीक्षोपरान्त यह निदेश दिया गया कि सभी जिले मानव दवा एवं पशु दवा की विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ससमय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस, चलंत मेडिकल टीम, मेडिकल कैम्प एवं ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश के ईलाज के लिए एंटी स्नेक वेनम सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया।

3. सूखा राशन का दर निर्धारण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत तीनों जिले में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

4. पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता :-

क्र0	जिला का नाम	पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता	अभ्युक्ति
1.	सहरसा	17552	सहरसा जिला द्वारा 5,000 पॉलीथीन शीट्स सुपौल जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। सुपौल एवं मधेपुरा जिला द्वारा क्रमशः 26,500 एवं 5,000 पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना नोडल जिला सहरसा को भेजी गयी है।
2.	सुपौल	10995	
3.	मधेपुरा	12821	

Scanned with OKEN Scanner

समीक्षोपरान्त नोडल जिले को आवश्यकतानुसार पॉलीथीन शीट्स संबंधित दोनों जिले को मांग के आधार पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार तीनों जिलों में टेंट, पंडाल, खाद्य सामग्री आदि की व्ययवस्था कर लिये जाने का निदेश दिया गया।

5. जी.आर. सूची :-

क्र0	जिला का नाम	लाभार्थी की संख्या	अभ्युक्ति
1.	सहरसा	66363	नये लाभार्थी-466
2.	सुपौल	37763	नये लाभार्थी-1205
3.	मधेपुरा	69021	–

समीक्षा के क्रम में तीनों जिलों द्वारा जी.आर. सूची अद्यतन एवं सत्यापन कर लिये जाने की जानकारी दी गयी।

6. बाढ़ आश्रय स्थल :-

क्र0	जिला का नाम	बाढ़ आश्रय स्थल	पशु आश्रय स्थल
1.	सहरसा	63	59
2.	सुपौल	214	33
3.	मधेपुरा	93	11

सभी जिलों को निदेश दिया गया कि उक्त आश्रय स्थलों में स्वच्छ पानी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर ली जाय।

7. सामुदायिक रसोई :-

क्र0	जिला का नाम	रसोई केन्द्र की संख्या
1.	सहरसा	78
2.	सुपौल	80
3.	मधेपुरा	59

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि सभी चिन्हित सामुदायिक रसोई केन्द्रों पर स्वच्छ पानी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर ली जाय।

8. पशु चारा का दर निर्धारण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तीनों जिला में पशु चारा संबंधी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा कार्यादेश निर्गत है।

9. नहर की मरम्मति :-

क्र0	जिला का नाम	योजना की स्थिति	अभ्युक्ति
1.	सहरसा	19 पूर्ण	
2.	सुपौल	40 में 39 पूर्ण	
3.	मधेपुरा	–	तटबंध नहीं है

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि नहरों एवं तटबंधों का लगातार अनुश्रवण कराया जाय तथा संबंधित कार्यपालक/सहायक अभियंता को लगातार पेट्रोलिंग करते रहने का आदेश दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

10. **वर्षा मापक यंत्र :-**

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि वर्षा मापक यत्रों को क्रियाशील रखेंगे तथा इससे संबंधित सूचनाओं का लगातार प्रसारण भी करते रहेंगे।

11. प्रमंडल अन्तर्गत तीनों जिलों में पूर्व के वर्षों का सभी तरह के अनुदानों/अनुग्रह अनुदानों के भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।

12. कटाव पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र पुनर्वासित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनश्चित करेंगे।

13. प्रशिक्षित गोताखोड़ों की सूची उनके मोबाईल न0 के साथ प्रचारित करने एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

14. बिजली के क्षतिग्रस्त तारों, खम्भों की मरम्मति करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलिया की साफ-सफाई एवं मरम्मति संबंधी कार्य ससमय पूर्ण कर लिये जाने का भी निदेश दिया गया।

15. NDRF एवं SDRF के टीमों को बाढ़ की स्थिति में अलर्ट मोड में रखने का निदेश संबंधित जिला पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही नियमित रूप से अंचल, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिविर लगाने तथा मॉकड्रील कराने का निदेश दिया गया।

16. प्रमंडल के जिलों में तटबंध से अतिक्रमण शीघ्र हटाने का निदेश दिया गया, ताकि तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

17. प्रमंडल के तीनों जिलों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 24x7 सुचारू रूप से कार्य करे इसे अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल,सहरसा।

ज्ञापांक 5351........................./ **सहरसा, दिनांक** 23-7-2026........................

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, आपदा, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल,सहरसा।

ज्ञापांक 5351........................./ **सहरसा, दिनांक** 23-7-2026........................

प्रतिलिपि :- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल,सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner